कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियु प्रको/नियु-2/302/शिक्षक भर्ती 2021–22/अनुसूचित क्षेत्र/लेवल–प्रथम/2021 दिनांकः– 31.12.2021

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल–प्रथम, सामान्य/विशेष शिक्षा

विज्ञापन संख्या- 02/2021–22 दिनांकः–31.12.2021

Website : www.education.rajasthan.gov.in/elementary
Email ID : niyuktiele@gmail.com
फोन नं. 0151-2207047

1. राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 एवं राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम–2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत [illegible] अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के लिए अध्यापक लेवल–प्रथम कक्षा 1 से 5 के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के सद्भावी निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत अध्यापक लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के लिये विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या				
		सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा			योग
			MR	VI	HI	
1	अध्यापक, लेवल प्रथम	3500	28	13	19	3560

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) अन्तर्गत ***सामान्य/विशेष शिक्षा के पृथक–पृथक विज्ञापित पदों*** का विभागवार/जिलेवार/वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। अभ्यर्थी ***http://sso.rajasthan.gov.in*** अथवा ***http://recruitment.rajasthan.gov.in*** वेबसाईट पर दिनांक 10.01.2022 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

3. **ऑनलाईन** आवेदन करने की अवधि– दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 09.02.2022 की रात्रि 12:00 बजे तक उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाईन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
4. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :–
   1. राज्य सरकार के आदेश पत्रांकः–प.7(13) प्राशि/आयो./2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021–22 अध्यापक लेवल–प्रथम, सामान्य एवं विशेष शिक्षा के पद हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021 के लेवल–प्रथम में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा–

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक %
1	अनारक्षित/सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	60
2	अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	55
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	36
4	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक	50
5	निशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	40

   2. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013, 04.07.2016 एवं 21.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.8(3)/2017–वि.1 दिनांक 19.06.2018 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भरे जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी, अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
   3. अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियां हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी ही पात्र होंगे। राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं तथा इन वर्गों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों का अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चयन पर विचार किया जायेगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र के समस्त रिक्त पदों के विरूद्ध चयन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है अर्थात् जो स्वयं या जिनका जन्म 01 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता/पूर्वज 01 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इसके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

5. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम के सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा दोनो में ही निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे अलग–अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा।

7. आवेदक द्वारा सम्बन्धित पद हेतु *<u>एक से ज्यादा ऑनलाईन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।</u>*

8. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं रीट–2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं (रोल नम्बर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम, विषय) भरनी अनिवार्य है।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिला की क्रमबद्ध Preference(प्राथमिकता) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 08 जिले भरने अनिवार्य होंगे।

10. अध्यापक लेवल–प्रथम हेतु वांछित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, रीट–2021 के लेवल–प्रथम के पद में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या 10 के अनुसार)

11. विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

12. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा-निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

13. इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

14. यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जानबूझ कर असत्य/गलत सूचनाऐं अंकित की जाती है या कोई तथ्य छिपाता है, तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6. <u>आवेदन शुल्क</u> :–

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करायेंगे।

क्र.सं.	विवरण	राशि रू.में
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	100/–
2	राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	70/–
3	राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक हेतु	60/–
4	राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्ग के निशक्तजन एवं जिनकी पारिवारिक आय रू. 2.50 लाख से कम है उन आवेदक हेतु	60/–

नोट:–अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापिस नहीं लौटाया जायेगा। तथा निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध में आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्वीकार नही होगा।

6. **ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :–**

1. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक लेवल–प्रथम (सामान्य/विशेष शिक्षा) के पदों पर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को **www.sso.rajasthan.gov.in** पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी की SSO ID पूर्व में बनी हुई है तो उसी ID से आवेदन कर सकते हैं अन्यथा उक्त वेबसाईट पर Not a registered user पर क्लिक कर पंजीयन करवायें। पंजीयन करवाने के पश्चात् SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन किये जाने पर ऑनलाईन वेबसाईट **https://sso.rajasthan.gov.in** के डेशबोर्ड पर Ongoing Recruitment पर उक्त शिक्षक भर्ती के लिंक पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र/स्वयं के माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (चाहे आवेदक स्वयं ऑन–लाईन आवेदन करें या ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र से ऑन–लाईन करावें) को निर्धारित आवेदन शुल्क तथा 30/रु.(जीएसटी अतिरिक्त)(ई–मित्र फीस/जनसुविधा) जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एन.सी.टी.ई. की अधिसूचना दिनांक 29.08.2010 एवं 29.07.2011 तथा इनके संबंध में समय–समय पर किये गये संशोधन एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 एवं 21.10.2019 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन को अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र/स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कूटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर विभाग द्वारा अग्रामी कार्यवाही की जावेगी।
4. ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो उसे ऑनलाईन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा, साथ ही आवेदन Submit होने की सुनिश्चितता कर लेवें। आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आईडी एवं आधार नम्बर अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
6. अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क या अन्य समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं करने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होकर संबंधित अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
7. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विशेष योग्यजन/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जावेगा; और ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्वयं के वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन भरा है से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता निरस्त कर दी जावेगी।
8. विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जावेगी, यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

7. <u>जिलेवार पद</u> :–अनुसूचित क्षेत्र (TSP-AREA) के अन्तर्गत अध्यापक लेवल–प्रथम सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के जिलेवार/वर्गवार विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण प्रपत्र संलग्न है। जिलेवार विज्ञापित पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

8. <u>आरक्षण</u> :– नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 12 पर उल्लेखित हैं।

9. <u>वेतनमान:-</u> राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 के नियम 288 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 के नियम 16 की अनुसूची (v) के अनुसार परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में विहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के सतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमित वेतनमान लेवल 10 के अनुरूप देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/05 (पैशन 5/05) दिनांक 02.05.2005 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पैंशन योजना का प्रावधान लागू होगा।

10. **राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 के अन्तर्गत <u>लेवल-प्रथम के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ:-</u>**

राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम 266 में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होगें :

10.1 <u>कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए :-</u>

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations-2002

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षकों के लिए)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Education (Special Education) (For Special Teachers)

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

नोट:- उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प. 7(13)प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 में आवेदन हेतु पात्र होंगे-

(i) उपरोक्त स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन डिप्लोमाधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29, जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।

(ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

B. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2021 (लेवल प्रथम) राज्य सरकार के आदेश पत्रांक <u>प.7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020</u> के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। (विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 4.1 में उल्लेखितानुसार)

10.2 अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी.एल.एड. सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पदों हेतु शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

10.3 **शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा** :–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

10.4 **विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण**– वह व्यक्ति, जिसने बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10.5 राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं है अतः इन वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं प्राप्तांक प्रतिशत होने अनिवार्य है। लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए *निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।*

10.6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। *आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।*

11. नियुक्ति हेतु निरर्हता :–

i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक संतानें है, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान है किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म लेती हो तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी।

ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे.

iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iv. यदि अभ्यर्थी –(a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से कदाचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

v. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:–

इस नियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

नोट:– उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा.

12. नियुक्ति हेतु आयु सीमा एवं आरक्षण प्रावधान–

12.1 आयु सीमा :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में शिक्षक लेवल–प्रथम के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से अन्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिये। पंचायत राज की अधिसूचना क्रमांक F.4(3)Am/Rules/Legal/PR/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी. अतः इस प्रावधान के अनुसार अध्यापकों की सीधी भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती, 2021–22 में सामान्य वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जायेगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:–

i. अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं है अतः इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यार्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

ii. अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

iii. अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

iv. भूतपूर्व सैनिको के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।

vi. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : उस विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह–विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

vii. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद् के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे,उनके लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।

viii. ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र था।

ix. ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी की दशा में जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।

x. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम–2018 के उपनियम 6–A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट :–उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से x तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

12.2 **आरक्षण प्रावधान :**

I. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के सहरिया आदिम जाति वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

II. अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत जिलेवार/लेवलवार/वर्गवार विज्ञापित पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) का निम्नानुसार आरक्षण देय होगा।

III. अनुसूचित क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। इन वर्गों के अभ्यर्थियों का अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध चयन कंसीडर किया जावेगा।

IV. अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

V. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1110/2018 राज्य सरकार व अन्य बनाम मंजू यादव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र में विवाह उपरान्त प्रवासित हुई आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) की महिला अभ्यर्थी को उनके वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करना होगा एवं इनका अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध चयन पर विचार किया जावेगा।

VI. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में संबंधित श्रेणी का अंकन करने पर ही उन्हें उस वर्ग का लाभ देय होगा।

VII. भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही इन पद हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में वांछित सूचना का अंकन करना अनिवार्य होगा, अनुसूचित क्षेत्र के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

स्पष्टीकरण:- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिये राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जावेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिये संगणित नहीं किया जायेगा, परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना यह अध्यारोही रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथा स्थिति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों में से भरा जा सकेगा जिसके लिये ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

12.3 **भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान** :-

I. भूतपूर्व सैनिक:-

(क) प्रतिरक्षा (थल,जल,वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(ख) प्रतिरक्षा रक्षा से सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

II. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

III. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है न कि उसका आश्रित या संबंधी का होना।

IV. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण-पत्र (NOC) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को दस्तावेज सत्यापन के समय सेवानिवृत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

V. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.06.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तक सेवा निवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवा निवृत्ति का प्रमाण-पत्र माना जायेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवा निवृत्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

VI. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त हो रहा है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा। किन्तु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवा निवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करता है और वास्तविक सेवा निवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण की कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे

उनकी सेवा निवृति के 02 माह की अवधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिये 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी।

VII. कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 5(18) डीओपी/क-2/84 पार्ट-4 दिनांक 01.06.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संबंध में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

VIII. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्ननियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जायेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन के ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यौरा के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/वचनबद्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से वंचित नहीं किया जायेगा।

IX. भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुर्ननियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

12.4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधित प्रावधान –

I. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। उपयुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

II. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन एवं नियुक्ति हेतु पात्र होंगे जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 में वांछित योग्यता रखता हो, इससे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

III. उत्कृष्ट खिलाड़ी से आशय:-

(क) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31) डीओपी/ए-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है एवं जिन्होंने निम्न सारणी में उल्लेखित खेल संस्था द्वारा आयोजित खेल-कूद/टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशियाई ओलम्पिक परिषद (ओसीए)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एसएओसी)	दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते है।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सीजीएफ)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशियाई ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

अथवा

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भाग लिया हो।

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

अथवा

एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटिज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में किसी व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे सम्बद्ध मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व तक का खेल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जायगें।

नोट:–यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12.5 <u>विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान :-</u>

i. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2019 लागू किये गये है, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

ii. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2018 के नियम–6(2) बी के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगा:–

1. <u>अध्यापक–लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा</u>

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाले)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन–निःशक्तता	ओए (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (प्रमस्तिष्क घातमस्त), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता	एसएलडी (विशेष अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रुग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी (बहु दिव्यांगता)(उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

2. <u>अध्यापक, विशेष शिक्षा, वी.आई. (ब्लाइन्ड/कम दृष्टि के लिए) :–</u>

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाले)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित चलन निःशक्तता	ओए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता	एमआई (मानसिक रूग्णता),	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी. (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से द मिलाकर)	

3. अध्यापक, विशेष शिक्षा, एच.आई. (सुनवाई और भाषण बाधा के लिए) :–

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) श्रवण बाधित	डी. (बहरा), एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	1.33 %
2	(ब) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक, मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी सहित चलन–निशक्तता	ओए (एक भुजा), ओएल (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	1.33 %
3	(स) ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रुग्णता	एमआई (मानसिक रुग्णता),	1.34 %
4	(द) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एमडी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से स मिलकर)	

4 अध्यापक, विशेष शिक्षा, एम.आर. (मानसिक विमंदित के लिए) :-

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि बाधित	बी. (नेत्रहीन), एल.वी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एच.एच. (ऊँचा सुनने वाला)	01 %
3	(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक, मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी सहित चलन निशक्तता	ओए (एक भुजा), ओएल (एक पैर), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक भुजा और एक पैर), सीपी (सेरेब्रल पाल्सी), एलसी (कुष्ठ उपचारित), डीडब्ल्यू (बौनापन), एएवी (एसिड हमला पीड़ित)	01 %
4	(द) ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रुग्णता	एएसडी (एम) (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर –अल्पतम), एसएलडी (विशिष्ट अधिगम अक्षमता), एमआई (मानसिक रुग्णता),	01 %
5	(य) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एमडी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से द मिलकर)	

III. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

IV. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपर्युक्त बेंचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपर्युक्त बेंचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति का निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

V. विशेष योग्यजन द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन होने की श्रेणी विशेष का उल्लेख करने पर ही नियमानुसार अपने वर्ग में आरक्षण का लाभ देय होगा।

VI. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी विशेष योग्यजन होने के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त विशेष योग्यजन होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम–2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त निशक्तता(विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

VII. इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थाई विशेष योग्यजनता को ही मान्य किया जाता है, अस्थाई विशेष योग्यजनता को नहीं।

VIII. विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।

IX. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

12.6 महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान :–

महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, उसी में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:–

I. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित

महिला आवेदक को अपने पिता/पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

II. महिलाओं हेतु दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा।

III. किसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

IV. किसी वर्ग में पर्याप्त संख्या में सामान्य, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के वरीयता प्राप्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

V. विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह–विच्छिन्न) आवेदक होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह–विच्छेद की डिक्री/आदेश इस भर्ती में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।

VI. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त राजस्थान में प्रवासित एवं स्थाई निवास करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को महिलाओं हेतु उस वर्ग में आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें।

13. <u>अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान</u> :–

I. अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 एवं 21.10.2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी टीएसपी क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

II. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

III. अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित पदों हेतु) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

IV. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। <u>**पति के नाम, निवास के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**</u>

V. अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अन्तिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

VI. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन.ओ.सी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा

VII. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

VIII. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

IX. परित्यक्ता/विवाह–विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

X. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृ-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह–पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

XI. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

XII. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

XIII. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/अवरोध उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

XIV. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

XV. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण- पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर पद-स्थापन के समय त्याग पत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

XVI. सभी आरक्षण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

XVII. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जावेगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जावेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

XVIII. किसी भी प्रतियोगी/भर्ती परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

14. <u>चयन प्रक्रिया</u> :— राज्य सरकार के आदेशांक प.[illegible]/2020 दिनांक 27.12.2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

I. राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 277(3) के उपनियम (vi) के अन्तर्गत अध्यापकों की इस सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

II. अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2021 के कुल 100 प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

III. अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं एवं प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की गणित रिक्तियों की 02 गुणा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जायेगी।

IV. प्राधिकृत एजेंसी (प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर) द्वारा शॉर्ट–लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक रूप से दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर करवाई जायेगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति अनुसार पदों के अनुसार मेरिट कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जावेगी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा जिलेवार दिये गये विकल्पों के आधार पर निदेशालय स्तर पर सूचियों का अंतिमीकरण करते जिला आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। जिसके हेतु,

A. यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक जिलों पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिये गये विकल्पों में से चुने गये उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर उस पद/जिले में जिला आवंटन किया जावेगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद एवं विषय की चयन सूची से उसका चयन निरस्त किया जायेगा।

B. अभ्यर्थियों के लिये पद एवं जिलेवार विकल्प हेतु निर्धारित [illegible]/तिथि तय की जायेगी, यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद/विषय पर चयन होता है एवं उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रेस्पोंस/विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी का सबसे अधिक वेतनमान [illegible] विषय पर चयन किया जायेगा। शेष पद/विषयों से उसका चयन निरस्त किया जावेगा।

V. पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच का एक अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

VI. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार/विषयवार विज्ञापित पदों के अनुसार अस्थायी रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची(Merit List) तैयार की जायेगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को, उनकी मेरिट, चयन वर्ग एवं ऑनलाईन आवेदन में भरी गई जिला की प्राथमिकता क्रम के अनुसार जिला आवंटन कर नियुक्ति हेतु सूची संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी।

VII. संबंधित जिला परिषद के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की अंतिम रूप से जांच कर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

VIII. राज्य स्तरीय मेरिट अभ्यर्थी के रीट-2021 में अर्जित वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी

नोट- समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जायेगी।

15. अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

<u>15.1 आवेदक द्वारा घोषणा एवं शपथ-पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (नाम) घोषणा करता/करती हूं कि –

1. मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित पात्रता निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूं।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूंगा/कहूंगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक मामले के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। मुझे आयोजित प्रतियोगी/भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं सक्षम संबंधी पूर्ण दस्तावेजों के साथ निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।
   (ब) यदि मैं अकारण अथवा काल्पनिक तथ्यों को लेकर न्याय हेतु निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर करता हूं तो निदेशालय को समुचित हर्जाना देने को बाध्य होऊंगा/होऊंगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 संशोधित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता/रखती हूं।
6. मैं निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में वर्णित स्कूलों में अध्यापक के पद पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखता/रखती हूं। मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूं अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिए विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊंगा/मानी जाऊंगी।
7. मैं राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का स्थायी निवासी हूं एवं माता-पिता/पूर्वज अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी रहे हैं।
8. आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की दशा में आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाइन भरे गये आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूंगा/दूंगी।
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा, यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूं कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. मुझे यह जानकारी है कि मैं REET-2021 में पात्रता प्राप्त करने को बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (डी.एल.एड.) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पात्र माना जाऊंगा/जाऊंगी।
13. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूं कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।
14. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूं कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होने वालों के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान .... नाम :

दिनांक .... पता

फोन नम्बर मय कोड ....

मोबाईल नम्बर ....

स्व-सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... जाति .... निवासी .... तहसील .... सत्यापन करता/करती हूं कि उक्त शपथ-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम ....

(52) आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

इस भर्ती में आवेदकों से अपने मूल ऑनलाइन आवेदन-पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र. सं.	दस्तावेज / प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	ऑनलाइन आवेदन की प्रति	
2	घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति	
4	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति	
5	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातकोत्तर की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	REET –2024 का प्रमाण पत्र।	
9	विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र	
10	मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति	
11	अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र	
12	जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) की प्रमाणित प्रति	
13	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ–पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से विच्छेद दस्तावेज / संबंध की प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र	
14	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय / डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ–पत्र	
15	सन्तान संबंधी घोषणा–पत्र।	
16	विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने सम्बन्धी शपथ पत्र।	
17	भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में यह घोषणा	
18	उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र।	
19	राजस्थान दिव्यांगजन अधिनियम-2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र	
20	पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं इस संबंध में एक शपथ पत्र।	
21	सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र	
22	राजकीय सेवा / उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	
23	अन्य आवश्यक दस्तावेज	
	कुल संलग्नकों की संख्या	

<u>अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प–लाइन तथा ई-मेल की सुविधा</u> :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन / सूचना / स्पष्टीकरण के लिए कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06.00 बजे के मध्य, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाईन नम्बर -0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा विभागीय वेब साईट पर समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंशि)
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22

विज्ञापन संख्या 02 / 2021–22

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) हेतु अध्यापक लेवल–प्रथम, सामान्य / विशेष शिक्षा के लिये विज्ञापित पदों का विवरण

क्र.सं.	जिला	विज्ञापित पद				
		सामान्य शिक्षक लेवल–1	विशेष शिक्षक लेवल–1			योग
			MR	VI	HI	
1	BANSWARA	675	12	03	06	696
2	CHITTORGARH	20	01	01	01	23
3	DUNGARPUR	623	03	03	03	629
4	PALI	35	01	00	01	37
5	PRATAPGARH	565	02	01	02	570
6	RAJSAMAND	20	01	01	01	23
7	SIROHI	235	04	02	02	243
8	UDAIPUR	1330	04	02	03	1339
	Total	3500	28	13	19	3560

31.12.21

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा